

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 43
अप्रत्यक्ष कर

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2008-2009			संशोधित 2008-2009			बजट 2009-2010			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व		...	1804.80	1804.80	...	2685.00	2685.00	...	3094.00	3094.00	
पूंजी		...	315.20	315.20	...	276.00	276.00	...	290.00	290.00	
जोड़		...	2120.00	2120.00	...	2961.00	2961.00	...	3384.00	3384.00	
सीमा शुल्क											
1.	सीमा शुल्क संग्रहण	2037	...	554.25	554.25	...	784.75	784.75	...	949.79	949.79
2.	सीमा शुल्क पर अन्य व्यय										
2.01	सीमा शुल्क कल्याण निधि	2037	...	10.00	10.00	...	10.52	10.52	...	10.50	10.50
2.02	अन्य मदें	2037	...	1.15	1.15	...	1.15	1.15	...	1.20	1.20
		4047	...	150.20	150.20	...	126.71	126.71	...	220.20	220.20
	जोड़		...	151.35	151.35	...	127.86	127.86	...	221.40	221.40
जोड़-सीमा शुल्क पर अन्य व्यय			...	161.35	161.35	...	138.38	138.38	...	231.90	231.90
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क											
3.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संग्रहण	2038	...	1026.69	1026.69	...	1505.92	1505.92	...	1855.67	1855.67
4.	बैंडरोल तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प तथा लेबलों का मुद्रण आदि	2038	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02	...	0.02	0.02
5.	अन्य व्यय	2038	...	17.78	17.78	...	23.49	23.49	...	28.62	28.62
5.01	निरीक्षण निदेशालय										
5.02	प्रणाली और डाटा प्रबंधन	2038	...	120.37	120.37	...	269.17	269.17	...	146.64	146.64
5.03	सतर्कता	2038	...	4.83	4.83	...	7.10	7.10	...	8.52	8.52
5.04	राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और नार्कोटिक्स अकादमी	2038	...	13.17	13.17	...	19.04	19.04	...	21.16	21.16
5.05	प्रचार और जनसम्पर्क निदेशालय	2038	...	23.50	23.50	...	22.02	22.02	...	24.68	24.68
5.06	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय	2038	...	20.30	20.30	...	28.31	28.31	...	32.35	32.35
5.07	अन्य	2038	...	6.24	6.24	...	7.36	7.36	...	8.35	8.35
जोड़-अन्य व्यय			...	206.19	206.19	...	376.49	376.49	...	270.32	270.32
6.	अनुरक्षण और मरम्मत	2216	...	6.50	6.50	...	6.15	6.15	...	6.50	6.50
7.	सहायता सामग्री और उपकरण-सकल घटाइए-कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को अंतरण	3606	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50
	निवल-सहायता सामग्री और उपस्कर	
8.	तैयार आवास की खरीद										
8.01	कार्यालय भवन	4059	...	145.00	145.00	...	135.00	135.00	...	50.00	50.00
8.02	रिहायशी भवन	4216	...	20.00	20.00	...	14.29	14.29	...	19.80	19.80
	जोड़		...	165.00	165.00	...	149.29	149.29	...	69.80	69.80
कुल जोड़			...	2120.00	2120.00	...	2961.00	2961.00	...	3384.00	3384.00

1. इस मांग में सीमा शुल्क स्कंध के स्थापना और अन्य व्यय के लिए और छोटे पत्तों और भू-सीमा शुल्क चौकियों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध द्वारा किए गए सीमा शुल्क संग्रहण के कार्य के संबंध में उन्हे आनुपातिक प्रभाओं की अदायगी करने के लिए प्रावधान किया गया है।

2. इसमें सीमाशुल्क कल्याण निधि के लिए 10.50 करोड़ रुपए और अन्य विभागों को भुगतान के लिए 1.20 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। तस्करोधी उपस्कर (कंटेनर स्कैनर) तथा समुद्री बेड़े की अधिप्राप्ति पर व्यय की पूर्ति हेतु 220.20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

3. यह प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संग्रहण पर अन्य व्ययों सहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संगठन के स्थापना व्ययों के लिए है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्कंध कुछ स्थानों पर, जैसे छोटे पत्तों और भू-सीमा शुल्क केन्द्रों में सीमा शुल्क संग्रह संबंधी कार्य भी करता है जिसके लिए सीमा शुल्क स्कंध से आनुपातिक आधार पर प्रभार वसूल कर लिया जाता है।

4. यह प्रावधान उत्पाद शुल्क बैंडरोल (माचिसों पर) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्पों और लेबलों के मुद्रण की लागत को दर्शाता है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। यह प्रावधान अवशिष्ट व्यय के लिए है।

5. इसमें मुख्यतः स्थापना व्यय और निरीक्षण, लेखापरीक्षा, प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन, प्रशिक्षण, सतर्कता, प्रचार और जन-सम्पर्क निदेशालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना निदेशालय, निपटान आयोग तथा अग्रिम निर्णयन प्राधिकरण पर होने वाले अन्य व्यय के लिए प्रावधान शामिल है।

6. यह प्रावधान विभागीय स्वामित्व वाले रिहायशी भवनों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए है।

7. इसमें यू.एस.ए. की सरकार तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित स्वापक कानून प्रवर्तन करार पत्र के अधीन यू.एस.ए. की सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता सामग्रियों और उपकरणों के मूल्य समायोजन के लिए प्रावधान शामिल है।

8. इसमें सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के विभागों के संबंध में तैयार कार्यालय भवनों की खरीद हेतु तथा तैयार आवासीय भवनों की खरीद के लिए प्रावधान शामिल है।